

पक्षकारान वकील रूप है। पूर्व आदेशानुसार  
प्रभावती दि 29/11/2022 पेक्ष है।

29/11/2022

प्रभावती पेक्ष हुई। वकील पक्षकारान अफिर  
नहीं आये। मूल वाद अफिर हाजिरी में  
धारिज किया जा चुका है। प्रभावती के  
अब फारिजादी का अंतिम नहीं होने से  
प्रभावती अंतर्गत 0-9 R-3 CPC के तहत  
एच डू द्वारा धारिज किया जाता है प्रभावती  
फैसला सुमार की जाकर नंबर से फस  
लेकर दाखिल दफ्तर हो। विनिय सुले  
न्यायालय में सुनाना जाकर मेरे एक्साइज व  
न्यायालय सुनाने से जारी किया गया।

